


न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-----------	------------------------------------	-------------------------------------------------------

फूलकंवर बनाम भावना शर्मा सहायक कलक्टर बांदीकुई वगैरा  
 किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण  
 मु0न0 12/2023

21.02.2023 अधिवक्ता प्रार्थी श्री सतीश कुमार पारीक उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) बांदीकुई से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण से तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की जाकर पत्रावली दिनांक 13.03.2023 को पेश हो।



  
 अति० जिला कलक्टर  
 दौसा


128  
 21-2-23  
 229-263  
 23-2-23

13-3-23 आज नर द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखन :  
 के कारण गत आदेशों की पालना में  
 पत्रावली निधत दिनांक 5-4-23 को पेश हो

05-4-23 अधिवक्ता प्रार्थीगत उपस्थित। अप्रार्थी सं० 14 प्रभू उपस्थित। अप्रार्थी सं० 14 द्वारा निवेदन किया गया कि न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई में विचाराधीन प्रकरण प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा में परिचित किया जा चुका है। इसलिये विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के लिये जाने का औचित्य नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्य जानकारी में नहीं होना व्यक्त किया गया।

अप्रार्थी सं० 14 के रुचन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्राप्त सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई की टिप्पणी तथ्यात्मक रिपोर्ट में अक्रियानुसार विचाराधीन प्रकरण उनवानी दजारी सिंह बनाम धरनी वजौरा प्रकरण:

  
 क नि प्रभू  
  
 क नि प्रभू



मु.नं. 50/2017 व बाद दरजी बनाम हजारि मु.नं. 125/2017 (कन्सोलिडेटेड वाड) नवसृजित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा के क्षेत्राधिकार में आने के कारण पत्रांक 29 दिनांक 14-3-2023 द्वारा उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बसवा में प्रेषित किया जा चुका है।

प्राचीन द्वारा प्रस्तुत प्राचीन पत्र स्थानान्तरण श्रीमती भावना शर्मा जीवासीन अधिकारी न्यायालय सहायक क्लर्क (फास्ट ट्रेक) बोंदी मुई के विरुद्ध पेश किया गया है, जिनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा में प्रेषित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में विचाराधीन प्राचीन पत्र स्थानान्तरण सारधीन एवं प्रभावधीन हो जाने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्राचीन गूलकर पत्नी हजारि सिंह जाति राजपूत निवासी बडियाल मुई तहसील बसवा जिला दोसा व अन्य द्वारा न्यायालय सहायक क्लर्क (फास्ट ट्रेक) बोंदी मुई में विचाराधीन प्रकरण उनवानी हजारि सिंह बनाम दरजी कौरा मु.नं. 50/2017 व बाद दरजी बनाम हजारि मु.नं. 125/2017 (कन्सोलिडेटेड वाड) को अन्य संक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु प्रस्तुत प्राचीन पत्र स्थानान्तरण सारधीन व प्रभावधीन होने से खारिज किया जाता है।  
निवेदन की गई अधीनस्थ न्यायालय सहायक क्लर्क (फास्ट ट्रेक) बोंदी मुई को भिजवाई जाये। पत्रावली केसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ण प्रविष्ट लेख भण्डार में जाये निवेदन आज दिनांक 05-4-2023 में मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निवेदन  
462  
7-4-23

